



केंद्रीय कर आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL TAX
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर वडोदरा - १ आयुक्तालय
GST VADODARA-I COMMISSIONERATE
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर भवन, रसकोर्स सर्कल, वडोदरा - ३९०००७
GST BHAVAN, RACE COURSE, VADODARA- 390007

व्यापार सूचना संख्या 13/2018-19

सभी व्यापार संघ/व्यवसायियों, व्यवसाय एवं उद्योग मंडलों, आरएसी के सभी सदस्य तथा सम्बन्धित व्यक्तियों का ध्यान केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और सीमा शुल्क, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गए निम्नलिखित परिपत्रों/आदेशों/अधिसूचनाओं की जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है:-

क्र.सं.	आदेश/परिपत्र सं./अधिसूचना	दिनांक	सारांश
1	परिपत्र सं. 75/49/2018-जी.एस.टी.	27.12.2018	संस्कृति मंत्रालय के 'सेवा भोज योजना' नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देश
2	परिपत्र सं. 76/50/2018-जी.एस.टी.	31.12.2018	कुछ मुद्दों पर स्पष्टता (सरकारी विभागों द्वारा अपंजीकृत व्यक्ति को बिक्री; सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 (11) के तहत जुर्माना की देयता; सीजीएसटी अधिनियम की धारा 142 (2) के तहत जारी किए गए डेबिट नोट / क्रेडिट नोट के मामले में कर की दर; जीएसटी से संबंधित अधिसूचना संख्या 50/2018-केंद्रीय कर, आयकर अधिनियम के तहत टीसीएस के मामले में मूल्यांकन पद्धति (माल के मालिक की परिभाषा)
3	परिपत्र सं. 77/51/2018-जी.एस.टी.	31.12.2018	कर अधिकारियों द्वारा प्रभावी विकल्प और उसके बाद प्रभावी तिथि से इनकार करना
4	परिपत्र सं. 78/52/2018-जी.एस.टी.	31.12.2018	जीएसटी के तहत सेवाओं के निर्यात पर स्पष्टता
5	परिपत्र सं. 79/53/2018-जी.एस.टी.	31.12.2018	धन वापसी संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण
6	परिपत्र सं. 80/54/2018-जी.एस.टी.	31.12.2018	जीएसटी दरों और वर्गीकरण (माल) के बारे में स्पष्टीकरण
7	परिपत्र सं. 81/55/2018-जी.एस.टी.	31.12.2018	स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए पार्श्व सहित जीएसटी दर के बारे में स्पष्टीकरण
8	परिपत्र सं. 82/01/2019-जी.एस.टी.	01.01.2019	भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों पर GST की प्रयोज्यता।
9	परिपत्र सं. 83/02/2019-जी.एस.टी.	01.01.2019	एशियाई विकास बैंक (ADB) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) पर GST की प्रयोज्यता।
10	परिपत्र सं. 84/03/2019-जी.एस.टी.	01.01.2019	सेवा कोड 998386 के अंतर्गत चित्रों की छपाई की सेवा के वर्गीकरण के मुद्दे पर स्पष्टीकरण।
12	परिपत्र सं. 86/05/2019-जी.एस.टी.	01.01.2019	बैंकिंग कंपनी को बिजनेस फैंसिलिटेटर (बीएफ) या एक बिजनेस करैस्पॉन्डेंट (बीसी) की सेवाओं पर जीएसटी।

2. उपर्युक्त सभी परिपत्र <http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/gst/cgst-circ-idx-2017> से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

3. सभी ट्रेड एसोसिएशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आरएसी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वह इस व्यापार सूचना में दी गई जानकारी को अपने सभी सदस्यों के बीच परिचालित तथा प्रचारित करें। यदि इस संबंध में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप उसे इस कार्यालय के ध्यान में ला सकते हैं।


(मल्लिका महाजन सिन्हा)

आयुक्त,
केंद्रीय जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
वडोदरा-1 आयुक्तालय

फा.सं. IV/16-173/TradeNot.Cir/Tech/2015-16-Pt II

वडोदरा, दिनांक: 10.01.2019

सेवा में,

1. मेलिंग लिस्ट के अनुसार।
2. नोटिस बोर्ड।
3. सभी विभाग, केंद्रीय कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा-1, वस्तु एवम सेवा कर कार्यालय।
4. उप/सह आयुक्त, केंद्रीय कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल। से XII, वडोदरा-1।
5. अधीक्षक (कंप्यूटर सेल), केंद्रीय कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा-1 (वेबसाइट पर अपलोड करने के उद्देश्य से)।